कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 918/2020 श्रीकिशन वर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2020 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अय्यामपेरूमल बनाम रजिस्ट्रार, कैट व अन्य याचिका संख्या 15732/2017 में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2017 के परिप्रेक्ष्य में निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी श्रीकिशन वर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि याचिकार्थी दिनांक 30.06.2012 को प्रधानाध्यापक पद से राजकीय माध्यमिक विद्यालय घाणामगरा, बिलाडा जिला जोधपुर से सेवानिवृत्त हुए। याचिकार्थी द्वारा दिनांक 01.07.2012 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि व पेंशन से सम्बन्धित समस्त परिलाभ की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अय्यामपेरूमल बनाम रजिस्ट्रार, कैट व अन्य (याचिका संख्या 15732/2017) में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2017 के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार (रूल्स डिवीजन) के परिपत्र एफ.9(33)एफडी/रूल्स/2007 दिनांक 11.02.2020 में अवधारित किया गया है कि " In so far as P. Ayyamperumal case is concerned, it is stated that the judgment of Hon'ble High Court of Madras is in personem.Further, the case of Sh. M.Balasubramaniam referred by Hon'ble High Court in it's judgment in P. Ayyamperumal case is related to Fundamental Rules of Tamilnadu Government whereas P. Ayyamperumal case relates to Central Government Rules.It is relevant to mention here that in a similar matter, Hon'ble High Court of Andhra Pradesh at Hyderabad in year 2005, in C Subbarao case, has inter-alia observed that a person who retires on the last working day would not be entitled for any increment falling due on the next day and payable next day thereafter because he would not test in these Rules.In addition, subsequent to the judgment of Hon'ble CAT Madras Bench vide its orders dated 19.03.2019 and order dated 27.03.2019 has also dismissed the similar requests related with notional increment for pensionary benefits."

राजस्थान सिविल सेवा (Revised Pay) रूल्स, 2017 (दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी) में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वार्षिक वेतन वृद्धि की गणना प्रत्येक वर्ष की एक जुलाई को की जायेगी एवं वे कार्मिक जिन्होनें आगामी एक जुलाई को पे मेट्रिक्स के किसी भी लेवल में 6 माह या अधिक पूर्ण कर लिये हों, वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु पात्र होंगे। याचिकार्थी श्री श्रीकिशन वर्मा दिनांक 30.06.2012 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस प्रकार वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 11.02.2020 एवं दिनांक 05.07.2021 के प्रावधानानुसार याचिकार्थी द्वारा वांछित अनुतोष देय नहीं है। उक्तानुसार याचिकार्थी श्री श्रीकिशन वर्मा का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी पक्षकार सूचित हों।

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/ई-4/एसबीसिया/श्रीकिशन वर्मा/918/2021 दिनांकः 21/2/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
5. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)